

सं0-1-40014/37/2003/ रा.भा. - 583

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

खंड-2, के.का.परि., लोधी रोड, नई दिल्ली -03

2447  
03/12/16


दिनांक - 07/12/16

कार्यालय ज्ञापन

विषय -संघ सरकार के मंत्रालयों/ विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए संस्थान द्वारा वर्ष 2017 में आयोजित गहन हिंदी कार्यशालाओं की समय-सारणी तथा पात्रता शर्तों के संबंध में।

उपर्युक्त विषय में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26.09.2016 के पत्र सं. 19011/24/2016 के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि./1121-2120 (प्रति बल की वेबसाइट से प्राप्त करें) का अवलोकन करें जिसके तहत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य दिवसीय गहन हिंदी कार्यशालाओं की समय-सारणी एवं पात्रता शर्तें प्रेषित की गई हैं।

2. कृपया अपने नियंत्रणाधीन समस्त क्षेत्रीय मुख्यालयों/ प्रशिक्षण केंद्रों एवं वाहिनियों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को दी गई पात्रता शर्तों के अनुसार इन गहन हिंदी कार्यशालाओं में नामित किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। नामांकन संबंधित फ्रंटियर /क्षेत्रीय मुख्यालय के माध्यम से सीधे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली को सीधे प्रेषित करें तथा प्रतिलिपि महानिदेशालय को सूचनार्थ भेजें।



(आर.के.पटारिया)


उप महानिरीक्षक (संगठन)

सेवा में,


1. समस्त फ्रंटियर मुख्यालय /प्रशिक्षण परिक्षेत्र/ क्षेत्रीय मुख्या.(ल.व.क)भा.ति.सी.पु.बल।
2. आधार चिकित्सालय, कें.अभि.का., भा.ति.सी.पु.बल नई दिल्ली, भा.ति.सी.पु.अकादमी।
- ✓ 3. उप सेनानी, आई.टी. सैल को इसे बल की वेबसाइट में विद्यमान राजभाषा फोल्डर में प्राथमिकता पर अपलोड करवाने हेतु।

प्रतिलिपि -

निदेशक, के.हिं.प्र.सं., रा.भा.विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड दिल्ली-11 को सूचनार्थ।



उप महानिरीक्षक (संगठन)



दूरभाष:- 23793521

फैक्स:- 23793521

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक: 26 SEP 20

6729  
10/10/16

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/ स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय -संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों /सांविधिक निकायों /उद्यमों /अभिकरणों /निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संस्थान द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण - वर्ष 2017

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/ अभिकरणों / निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में सभी कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं।

वर्ष 2017 में आयोजित की जाने वाली गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण तिथियों सहित अनुलग्नक-1 में दिया जा रहा है, ताकि सभी संबंधित कार्यालय प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कार्यशाला के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष के लिए उन्हें एक साथ नामित कर सकें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	भारत सरकार के कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है
1.	गहन कार्यशाला	(क) विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए अभिप्रेरित करना। (ख) विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन काम हिंदी में करने की झिझक को दूर करना। (ग) कार्यालयीन कार्य को करने की दक्षता (लेखन कौशल) प्रदान करना। (घ) राजभाषा विभाग द्वारा विकसित यांत्रिक उपकरणों/ साफ्टवेयरों की जानकारी प्रदान करना।	पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय	संघ सरकार के मंत्रालयों/ विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/उद्यम/ अभिकरण/निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।

## प्राप्तता

- राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नैतिक सफल कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों से कहा गया है कि उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाय, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान • या प्रवीणता •• प्राप्त है। (कार्यसाधक ज्ञान एवं प्रवीणता की परिभाषाएँ अलग से • / • • में दी गई हैं।)
- जो हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण ले चुके हैं, परंतु जिन्हें इसके बावजूद भी हिंदी में कार्यालय का कार्य करने में कठिनाई होती है, उन्हें इन कार्यशालाओं में भेजा जा सकता है।
- उन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अभी तक संस्थान द्वारा संचालित हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

- हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:-

- मेट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है।

या

- केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ अथवा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट

प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत वांछित परीक्षा उत्तीर्ण की है।

या

- यदि वह राजभाषा नियम, 1976 के साथ संलग्न फार्म में यह घोषणा करता है कि उसने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

- हिंदी में प्रवीणता प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:-

- मेट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है।

या

- स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो।

या

- यदि वह राजभाषा नियम, 1976 के साथ संलग्न फार्म में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

## नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक " III" में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को भिजवाएं ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
- प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारी को यथासमय इस कार्यालय द्वारा अलग से पुष्टि पत्र भेजा जाएगा।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पुष्टि दिए जाने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए कार्यमुक्त करें।
- कार्यशालाओं का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है।
- प्रशिक्षण केंद्र का पता: अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे एंड के हाउस के सामने/राजस्थान भवन के नजदीक) नई दिल्ली-110011

**विशेष**

- गहन हिंदी कार्यशालाओं के वार्षिक विवरण के लिए अनुलग्नक " I " देखें ।
- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, डिग्री कॉलेजों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस पत्र को सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कक्षाओं/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें ।
- यात्रा/दैनिक भत्ता आदि जो भी नियमानुसार देय होगा वह नामित प्रतिभागी के कार्यालय/संगठन द्वारा ही वहन किया जाएगा, इस संस्थान द्वारा नहीं ।
- कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि इस कार्यक्रम में जिन अधिकारियों के नामों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा भेजी जाती है उन्हें अवश्य कार्यमुक्त किया जाए । यदि किसी कारणवश उन्हें छोड़ना संभव न हो तो उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को भेजा जा सकता है । नामित अधिकारी को ऐसे ही किसी अगले कार्यक्रम में भिजवाने की व्यवस्था करना भी सुनिश्चित करें ।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को इस संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र तथा कार्यमुक्ति आदेश दिया जाएगा ।
- संस्थान के अधिकारियों के संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र, हॉस्टल का पता एवं उनके बस स्ट / निकटतम मेट्रो स्टेशन आदि के लिए अनुलग्नक - II देखें ।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक से दूरभाष सं. 011-23793521 पर संपर्क करें ।

भवदीय

(डॉ० जय प्रकाश कर्दम)

निदेशक

दिनांक:

पृष्ठांकन संख्या-19011/24 /2016/के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि. /

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -11 भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -11 भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
3. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) हिंदी शिक्षण योजना, सातवां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
4. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ।
5. सभी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
6. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
7. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
8. सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं ।
9. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
10. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद, बेंगलूर ।

(डॉ० जय प्रकाश कर्दम)

निदेशक

प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेंडर - वर्ष 2017

गहन हिंदी कार्यशालाएँ  
(पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)

क्रम संख्या	कार्यशाला सं.	प्रशिक्षण-अवधि
1.	446	09.01.2017 से 13.01.2017
2.	447	13.02.2017 से 17.02.2017
3.	448	20.03.2017 से 24.03.2017
4.	449	24.04.2017 से 28.04.2017
5.	450	22.05.2017 से 26.05.2017
6.	451	05.06.2017 से 09.06.2017
7.	452	19.06.2017 से 23.06.2017
8.	453	03.07.2017 से 07.07.2017
9.	454	17.07.2017 से 21.07.2017
10.	455	21.08.2017 से 25.08.2017
11.	456	04.09.2017 से 08.09.2017
12.	457	25.09.2017 से 29.09.2017
13.	458	23.10.2017 से 27.10.2017
14.	459	06.11.2017 से 10.11.2017
15.	460	04.12.2017 से 08.12.2017

**संपर्क सूत्र**

<p><b>1.</b> निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, सातवाँ तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ.परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष -011-24361852 फैक्स-011-24361852 ई-मेल dirchti-dol@nic.in</p>	<p><b>2.</b> प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष-011-23793521 फैक्स-011- 23793521</p>
---	---

**प्रशिक्षण केंद्र, हॉस्टल का पता तथा उनके बस रुट/ निकटतम मेट्रो स्टेशन**

<p><b>प्रशिक्षण केंद्र</b></p>
<p>केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली - <b>110011</b> दूरभाष-011-23793521 बस रुट - नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड तक बस नं.- 181, 450 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पृथ्वीराज रोड बस नं.- 502 अ.रा.बस. अड्डे से पृथ्वीराज रोड तक बस नं-501,503,533, 621 मेट्रो स्टेशन : खान मार्किट,जोर बाग एवं रेस कोर्स, आनंद विहार बस अड्डे से 624</p>

<p><b>हॉस्टल</b> वार्डन (हॉस्टल), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, फ्लैट नं. 2 तीसरा तल, गवर्नमेंट हॉस्टल,खालसा इवनिंग कॉलेज के सामने, देवनगर, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005. दूरभाष 011-28716509 बस रुट -नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खालसा कॉलेज बस नं. 181 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लिबर्टी सिनेमा बस नं. 926 हॉस्टल से संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड तक (पृथ्वीराज रोड) बस नं. 450,181</p>	<p><b>हॉस्टल</b> छात्रावास वार्डन/केयर टेकर, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, फ्लैट सं. 876 से 890 पुष्प विहार, सैक्टर-7, नई दिल्ली-110017 दूरभाष 011- 29562873,24361734 बस रुट -पुरानी रेलवे दिल्ली स्टेशन से 419 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से-आर.के आश्रम स्टॉप से बस नं. 521-522 पुष्प विहार हॉस्टल से प्रशिक्षण केंद्र - बस नं. 521-522 निकटतम बस स्टॉप लोदी गार्डन</p>
---	---

प्रपत्र

अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान का स्थल	तैनाती	शैक्षिक/ तकनीकी अर्हता	हिंदी का ज्ञान	टेलीफोन नं(कार्यालय/ मोबा.	ई मेल आई डी

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय का पूरा पता.....

टेलीफोन नं. .... फैक्स नं. ....

ई मेल आई डी ..